

आरती का

नमाज़

और ज़खरी अहकाम व मराइल

वुजू का तरीक़ा

फ़र्ज़ नमाजें


सुन्नत नमाजें

नफ़्ल नमाजें

سُلَيْمَان سَعِيد مُحَمَّد كُرَيْش

व

مُفْتَنِي مُحَمَّد يَحْيَا كَاتِبِي



ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰੀ

ਜੱਸ਼ਾਜ਼

ਔਰ ਜੁਖਰੀ ਅਹਕਾਮ ਵ ਮਰਾਇਲ

ਮੌਲਾਨਾ ਸਥਦ ਮੁਹਮਦ ਕੁਰੈਸ਼
ਵ
ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹਮਦ ਯਹਿਆ ਕਾਸਮੀ



www.idaraimpex.com

© इदारा

इस पुस्तक की नकल करने या छापने के उद्देश्य से किसी पृष्ठ या शब्द का प्रयोग करने, रिकॉर्डिंग, फोटो कॉपी करने या इसमें दी हुई किसी भी जानकारी को एकत्रित करने के लिए प्रकाशक की लिखित अनुमति आवश्यक है।

पुस्तक का नाम : औरतों की नमाज

Aurton Ki Namaz

मौलाना सय्यद मुहम्मद कुरैश
व
मुफ्ती मुहम्मद यह्या कासमी



प्रकाशन : 2015

ISBN: 81-7101-226-4

TP-362-15

*Published by Mohammad Yunus for
IDARA IMPEX*

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar
New Delhi-110 025 (India)

Tel.: +91-11-2695 6832 & 085888 33786
Fax: +91-11-6617 3545 Email: info@idara.in
Online Store: www.idarastore.com

Retail Shop: IDARA IMPEX

Shop 6, Nizamia Complex, Gali Gadrian, Near Karim's Hotel
Hazrat Nizamuddin, New Delhi-110013 (India) Tel.: 085888 4478

बिस्मिल्लाहिरहूमानिरहीम०

नमाज़ दीने इस्लाम का अहम रुक्न है। कलिमा पढ़ने के बाद हर बालिग मर्द और औरत पर रोज़ाना दिन रात में पांच नमाजें फ़र्ज़ हैं। यह छोटी सी किताब कम पढ़ी-लिखी औरतों के लिए लिखी गई है कि उनको नमाज़ पढ़ना आ जाए। अल्लाह तआला इसको उन बहनों के लिए मुफ़ीद बनाए।

पाकी

नमाज़ पढ़ने के लिए बदन का (हैज़ व निफ़ास वग़ेरह से) पाक होना ज़रूरी है और बदन की पाकी के लिए पानी का पाक होना भी ज़रूरी है, मगर दोनों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जिन की इस छोटी सी किताब में गुंजाइश नहीं, इनको बड़ी किताबों में देखिए। नमाज़ पढ़ने के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है। अगर नहाने की ज़रूरत न हो तो सिफ़ वुजू कर लीजिए। वुजू में चार चीजें फ़र्ज़ हैं:

1. पूरा चेहरा धोना,
2. कुहनियों से ऊपर तक दोनों हाथ धोना,
3. सर के चौथाई हिस्से का मसाह करना,
4. टख्नों से ऊपर तक दोनों पांवों को धोना।

चेहरा, हाथ और पांव, जहाँ से जहाँ तक धोना फ़र्ज़ है, अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो वुजू ज़हीं होगा, और नमाज़ भी नहीं होगी। इसी तरह अगर चौथाई सर से भी कम का मसह किया, तो भी वुजू नहीं होगा।

سُوْنَّت کے مُعْتَادِيکِ فُوجُوْ کا تَرِیکَہ

فُوجُوْ کرتے وکْت بِسْمِ اللّٰہ کہیए۔ پہلے تین بار دُوْناؤں ہاथ پھُنْچوں تک�ی ادھی، میسْوَکٰ وَغَرَہ سے دانت ساف کیجیए، میسْوَکٰ نہ ہو تو داہنے ہاٹ کی ٹانگلی سے دانت مالیے، فیر تین بار کُلَّلی کیجیए، اسکے باہم تین بار ناک میں پانی ڈالکر ناک ساف کیجیए۔ فیر تین بار چہرہ سر کے بآلوں سے لے کر ٹوڈی کے نیچے تک اور اک کنپتی سے دوسری کنپتی تک�ی ادھی۔ اسکے باہم تین بار پہلے داہنیا، فیر بآیاں ہاٹ کوہنیوں سمتھ دھیا۔ اگر ہاٹ میں انگوٹھی یا چوڈی ہو یا ناک میں کیل ہو، تو اسے ہیلاکر اندر پانی پھُنْچایدھی، فیر اک بار پورے سر کا مسح کیجیए، یا نی بھیگا ہاٹ پورے سر پر پشانی کے بآلوں سے گردان کے بآلوں تک فئریے اور ہاٹ کو پیچے سے آگے تک لوتا لیجیए اور کاؤں اور گردان پر مسح کر لیجیए۔ اسکے باہم تین بار پہلے داہنیا، فیر تین بار بآیاں پانوں تکھنیوں سے اوپر تک�ی ادھی اور ہاٹ کی ٹانگلیوں سے پانوں کی ٹانگلیوں کا خیلائی کیلیجیए کہ کہیں سوکھا ن رہ جائے۔ اسکے باہم یہ دعا پڑھیے:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَظَهِّرِينَ ط

اَللّٰهُمَّ اَعُذُّ بِكَ اَنْتَ مَنْ لَا يَعُوذُ بِكَ وَمَنْ لَا يَعُوذُ بِكَ لَا يَعُوذُ بِمَنْ لَا يَعُوذُ بِكَ

تَرْجُمَۃ: اے اَللّٰہ! مُझے توبہ اور خوب پاکی نسبت کر!

اگر سورہ اینہا انچلنا یاد ہو تو وہ بھی پढ لیجیے!

یاد رکھیے! اگر ناخون میں آتا لگکر سوکھ گیا ہو، تو پہلے اسکو چوڈا لیجیے! اگر ناخون پر 'نےل پولیش' کا رنگ

लगा हुआ हो तो उसको भी साफ़ कर लीजिए, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा, तो न वुजू होगा, न नमाज़ होगी। इन जैसी चीज़ों को चाकू बगैरह से साफ़ करना होगा, जब जाकर वुजू दुरुस्त होगा। अगर बदन पाक करने के लिए नहाने की ज़रूरत हो, तो पहले गुस्ल कर लेना चाहिए।

गुस्ल में तीन चीजें फर्ज़ हैं— अगर एक चीज़ भी छुट जाएगी तो गुस्ल नहीं होगा और नापाकी दूर नहीं होगी। वे तीन फर्ज़ ये हैं:

1. इस तरह कुल्ली करना कि पानी हल्क़ तक पहुंच जाए।
2. नाक में इस तरह पानी डालना कि नरम हड्डी तक पहुंच जाए।
3. सारे बदन पर इस तरह पानी डालना कि बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे।

सुन्नत के मुताबिक़ गुस्ल का तरीक़ा

पहले दोनों हाथ पहुंचे तक धो लीजिए, इस्तिंजाकीजिए और जहाँ पर भी नापाकी लगी हुई हो, उस जगह को धो लीजिए, फिर वुजू कीजिए। वुजू के बाद एक बार सर पर पानी डालिए और सारे बदन पर अच्छी तरह हाथ फेरिए कि हर जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाए। फिर दो बार और सर पर पानी इस तरह डालिए कि सारे बदन पर पानी बह जाए। अगर नाक में कील, कान में बाली या इयर-रिंग हो तो हिला लीजिए कि उन सुराखों में भी पानी पहुंच जाए। अगर पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल न होगा।

नमाज़ पढ़ने के लिए और ज़रूरी चीज़े

नमाज़ शुरू करने से पहले ये चीजें ज़रूरी हैं, इनके बगैर नमाज़ नहीं होगी।

- बदन पाक हो, बदन की पाकी के लिए गुस्त और वुजू का तरीका बताया जा चुका है।
- बदन के कपड़े पाक हों। कुछ औरतें बच्चों के पेशाब, पाखाना की वजह से कपड़ों की नापार्की का बहाना करके नमाज़ छोड़ बैठती हैं। यह मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है। नमाज़ के लिए दूसरा कपड़ा रखना चाहिए और नमाज़ पढ़ते वक्त पाक कपड़े बदल कर नमाज़ पढ़ें।
- जिस जगह या जिस कपड़े पर नमाज़ पढ़ी जाए, वह जगह या कपड़ा पाक हो।
- सारा बदन कपड़े से छुपा हुआ हो, सिफ़ चेहरा, पहुंचे तक हाथ और टखने तक पांव खुले रखने की इजाज़त है, लेकिन एहतियात इसमें है कि चेहरे के सिवा हाथ-पांव भी नमाज़ की हालत में छुपे रहें। कपड़ा इतना बारीक न हो कि अंदर से बदन का कोई हिस्सा या सर के बालों का कोई हिस्सा झलकता हो, ऐसे कपड़े में नमाज़ नहीं होती है।

नोट- अगर नमाज़ की हालत में चेहरे, पहुंचे और टखने के सिवा किसी अज्ञ (अंग) का चौथाई हिस्सा इतनी देर तक खुला रह गया, जितनी देर में तीन बार ‘सुब्हानअल्लाह’ कहा जा सकता है, तो नमाज़ टूट जाएगी, फिर से नमाज़ शुरू करना होगी। हाँ अगर इतनी देर तक खुला नहीं रहा, बल्कि खुलते ही फौरन छुपा लिया तो नमाज़ हो जाएगी। जैसे: पिंडुली, बांह- कलाई, सर, सर के बाल, कान या गरदन, किसी उज्ज्व (अंग) का चौथाई हिस्सा इतनी देर खुला रह जाए, तो नमाज़ नहीं होगी।

पांच वक्त की नमाजें

फ़ज्ज की नमाज़— पहले दो रक्अत सुन्नत, इसके बाद दो रक्अत फ़र्ज़।

जुहर की नमाज़— पहले चार रक्अत सुन्नत, फिर चार रक्अत फ़र्ज़, इसके बाद दो रक्अत सुन्नत और खुदा तौफ़ीक दे तो दो रक्अत नफ़्ल।

अस्त्र की नमाज़— पहले चार रक्अत सुन्नत, इसके बाद चार रक्अत फ़र्ज़।

मग़रिब की नमाज़— पहले तीन रक्अत फ़र्ज़, इसके बाद दो रक्अत सुन्नत, फिर दो रक्अत नफ़्ल।

इशा की नमाज़— पहले चार रक्अत सुन्नत, फिर चार रक्अत फ़र्ज़, फिर दो रक्अत सुन्नत, फिर दो रक्अत नफ़्ल इसके बाद तीन रक्अत वित्र वाजिब, फिर दो रक्अत नफ़्ल।

नोट— अस्त्र और इशा की फ़र्ज़ से पहले चार रक्अत सुन्नत की ताकीद नहीं है, अगर कोई पढ़ ले, तो बड़ा सवाब मिलेगा और न पढ़े तो कुछ गुनाह भी नहीं है। इसी तरह मग़रिब और इशा में नफ़्ल अगर कोई न पढ़े तो कोई हरज और गुनाह नहीं और पढ़ ले तो बड़ा सवाब मिलेगा।

अलबत्ता रमज़ान शरीफ़ के महीने में इशा के फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद तरावीह की नमाज़ भी सुन्नत है और उसकी बड़ी ताकीद है, इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। नमाज़ वित्र तरावीह के बाद पढ़ी जाती है।

नफ़्ल नमाजें

इन पांच नमाजों के अलावा और वक्त में भी नफ़्ल नमाज़ का बड़ा सवाब है। नफ़्ल नमाज़ दो-दो रक्खत की नियत करके ही पढ़ना चाहिए।

इशराक की नमाज़- सुबह को जब सूरज अच्छी तरह निकल आए, तो चार रक्खत पढ़ी जाती है।

चाश्त की नमाज़- नौ दस बजे दिन के आठ रक्खत पढ़ी जाती है।

अव्वाबीन की नमाज़- मग़रिब की नमाज़ के, बाद कम से कम छः रक्खत पढ़ी जाती है।

तहज्जुद की नमाज़- रात के बाद से लेकर सुबह से पहले- पहले तक जिस वक्त नींद टूट जाए, चार, छः या आठ रक्खत पढ़ी जाती है।

इन वक्तों में कोई नमाज़ न पढ़ी जाए

1. सूरज निकलते वक्त,
2. सूरज डूबते वक्त, हाँ उस दिन की फ़र्ज़ नमाज़ अस्त्र क़ज़ा हो रही हो, तो सूरज डूबते वक्त भी पढ़ी जा सकती है।
3. ठीक दोपहर के वक्त, जबकि सूरज बीच सर पर हो।
4. फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ लेने के बाद जब तक सूरज अच्छी तरह न निकल जाए।
5. अस्त्र और मग़रिब की नमाजों के बीच में।
आखिर के दोनों वक्त में कोई नफ़्ल नमाज़ जायज़ नहीं है, हाँ

फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ी जा सकती है और सज्दा-ए-तिलावत करना भी दुरुस्त है।

फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की तर्कीब

काबा की तरफ़ मुंह करके खड़े हो जाइए और नमाज़ की नियत करके दोनों हाथ कंधों तक ऊपर उठाइए, मगर हाथ आंचल से बाहर न निकालिए, हथेलियाँ काबे की तरफ़ कर लीजिए, अब धीरे से अल्लाहु अक्बर कहती हुई दोनों हाथ सीने पर बांध लीजिए। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखिए, निगाह सज्दे की जगह पर रखिए और यह पढ़िए:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ط

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ

وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ط

तर्जुमा— ऐ अल्लाह! मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ और तेरी तारीफ़ करती हूँ और बरकत वाला है और तेरा नाम और ऊँची है तेरी शाद और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है।

इसके बाद यह पढ़िए—

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

अज़्जु बिल्लाहि मिनशैतानिर्जीम०

तर्जुमा— शैतान मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . -

तर्जुमा- मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है ।

कुरआन पढ़ना- अब अल-हम्दु पूरी सूरः पढ़िए और आमीन कहिए । इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई और सूरः या कुरआन मजीद की कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़िए ।

रुकूअ- अब अल्लाहु अक्बर कहकर रुकूअ कीजिए यानी झुक जाइए । हाथ की उंगलियों को मिलाकर दोनों घुटनों पर मज़बूती से रखिए और दोनों पैर के टखने को भी मिला दीजिए । रुकूअ में निगाह अपने क़दमों पर रखिए और कम-से-कम तीन बार कहिए-

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ ط

सुब्हा-न रब्बियल अज़ीम०

तर्जुमा- पाकी बयान करती हूँ मैं अपने बड़े मर्तबे वाले परवरदिगार की ।

फिर

سَمَحَ اللَّهُ لِيَنْ حَمْدَةً

समझिल्लाहु लिमन हमिदह

तर्जुमा- सुन ली अल्लाह ने उसकी बात, जिसने अल्लाह की तारीफ़ की ।

रब्बना ल-कल हम्दु، رَبَّنَاكَ الْكَلْمُط

तर्जुमा- ऐ हमारे पालने वाले, सब तारीफ़ तेरे ही लिए हैं ।

अब इसके बाद फिर अल्लाहु अक्बर कहती हुई सज्दे में जाइए

और कम से कम तीन बार कहिए।

سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَىٰ ط سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَىٰ ط
سुब्हा-ن रब्बियल आला०

तर्जुमा- पाकी बयान करती हूँ मैं अपने सबसे ऊँचे मर्तबे वाले परवरदिगार की।

سُجْدَة

سُجْدَة में जाते वक़्त पहले घुटना, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखिए और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। दोनों हाथों को बीच में पहले नाक, फिर पेशानी, ज़मीन पर रख दीजिए। दोनों पांवों को दाहिनी तरफ़ निकाल दीजिए और खूब सिमट कर इस तरह सज्दा कीजिए कि पेट और रान दोनों मिल जाएं और बाहं को भी पहलू की पसलियों से मिला लीजिए। سज्दे में निगाह अपनी नाक पर रखिए, फिर अल्लाहु अक्बर कहते हुए उठकर बायें चूतड़ पर बैठ जाइए और दोनों पावों को दाहिनी तरफ़ बाहर निकाल दीजिए, और उंगलियों को खूब मिला लीजिए।

यह एक सज्दा हुआ।

अब फिर अल्लाहु अक्बर कहती हुई इसी तरह दूसरा सज्दा कीजिए और कम से कम तीन बार سुब्हा-न रब्बियल आला कहिए और अल्लाहु अक्बर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाइए। उठते वक़्त ज़मीन पर हाथ टेककर के न उठिए। यह एक रक़अत नमाज़ हुई।

इसी तरह दूसरी रक़अत भी पढ़िए। मगर سुब्हा-न-कल्लाहुम-म और आजुजुबिल्लाह न पढ़िए, बिस्मिल्लाह कहकर अल-हम्दु पूरी और कोई दूसरी सूरः या कुरआन मजीद की कम से कम एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें पढ़िए। बाकी सब कुछ पहली रक़अत

की तरह पढ़िए।

बैठना-

दूसरी रक्खत का आखिरी सज्दा कर लेने के बाद बैठने का जो तरीका बताया गया है, उसी तरीके पर बैठ जाइए। बैठने की हालत में निगाह अपनी गोद पर रखिए और अत्तहियात पढ़िए। अत्तहियात यह है:

الْتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالظَّيْبَاتُ الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَانُهُ طَ الْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

अत्तहियातु लिल्लाहि वस्-सला-वातु वत्तयिबातु
अस्सलामु अलै-क अय्युहन- नबियु व रहमतुल्लाहि व ब
- र कातुहू० अस्सलामु अलैना व अला इबा-दिल्लाहिस-
सालिहीन अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु
अन्-न मुहम्मदन अबदुहू व रसूलुहू।

तर्जुमा- जुबान से, बदन से और माल से जो इबादतें होती हैं, वह अल्लाह ही के लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों, हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इला-ह पर पहुचिए तो किनारे की दो उंगलियों को मोड़कर बीच की उंगली और अंगूठे का किनारा मिला लीजिए और अल्ला इला-ह कहते वक्त शहादत की

उंगली ऊपर उठाइए और इल्लाहु कहते वक़्त झुका दीजिए। अगर दो ही रक्खत वाली नमाज़ है, तो अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ यह है:

अल्ला-हुम्-म सल्लि अळा मुहम्मदिंव् व अळा आलि
मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अळा इब्राही-म व अळा आलि
इब्राही-म इन्-न-क हमीदुम्-मजीद० अल्ला-हुम्-म बारिक
अळा मुहम्मदिंव् व अळा आलि मुहम्मदिन कमा बारक्-त
अळा इब्राही-म व अळा आलि इब्राही-म इन्-न-क
हमीदुम्- मजीद०

तजु'मा - ऐ अल्लाह! रहमत नाज़िल कर हज़रत मुहम्मद
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम) की औलाद पर, जैसे रहमत नाज़िल की तूने
हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की औलाद पर। बेशक तू
तारीफ के लायक, बड़ी बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! बरकत नाज़िल
कर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर और हज़रत
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की औलाद पर, जैसे बरकत
नाज़िल की तूने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की औलाद
पर। बेशक तू तारीफ के लायक, बड़ी बुजुर्गी वाला है।

दुरुद शरीफ़ के बाद यह दुआ पढ़िए ।

दुआ

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي طُلْبًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ط

अल्लाहुम्-म इन्नी ज़लम्तु नफ़सी ज़ुल्म-मन कसीरंव-वला
यग़फिरुज़- जुनू-ब-इल्ला अन्-त फ़ग़-फ़िर ली
मग़फ़ि-र-त्तम मिन इन्दि-क वर-हम्नी इन्-न-क अन्-त्तल
ग़फूरुरहीम०

तर्जुमा- ऐ अल्लाह! बेशक मैंने अपनी जान पर बड़ा ज़ुल्म किया
और तू ही गुनाहों को बख्शता है। तू बख्श दे, मेरे लिए अपने पास
से माफ़ी और रहम कर मेरे ऊपर। बेशक तू ही बहुत बख्शने वाली
मेहरबान है।

इसके बाद पहले दाहिनी तरफ़, फिर बायीं तरफ़ मुँह फेरकर
कहिए:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّهُ

तर्जुमा- आप पर सलाम हो और खुदा की रहमत।

सलाम करते वक्त यह ख्याल कर लीजिए कि मैं फ़रिश्तों को
सलाम कर रही हूँ। अब हाथ उठाकर जो आप का जी चाहे अल्लाह
से दुआ मांगिए और दुआ ख़त्म करने के बाद दोनों हाथ मुँह पर
फेर लीजिए।

यह दो रक्खत वाली नमाज़ की तर्कीब थी। अगर तीन या चार
रक्खत वाली नमाज़ है तो ख़ाली अत्तहिय्यात पढ़कर फौरन खड़ी

हो जाइए। दुर्लद न पढ़ि, बाकी रक्खतें इसी तरह पूरी कर लीजिए। याद रखिए! फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रक्खत में अल्हम्दु के बाद सूरः नहीं पढ़ी जाती है, खाली अल्हम्दु पढ़कर रुकूअ और सज्दा कर लीजिए और आखिरी रक्खत के बाद रुकूअ और सज्दा कर लीजिए और आखिरी रक्खत के बाद बैठकर फिर अत्तहियात पढ़िए और इसके बाद दुर्लद शरीफ़ और दुआ पढ़कर सलाम फेरिए और हाथ उठाकर दुआ माँगिए।

वित्र नमाज़

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنُسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
 وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُشْتَرِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُشْكُرُكَ وَلَا
 نَكُفُرُكَ وَنَخْلُعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ طَالَلَهُمَّ إِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنُسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ
 وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشِي عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ

مُلْحِقٌ ط

अल्लाहुम्म-म इन्ना नस्तईनु-क व नस्तग़- फ़िरु-क व
 नुअ्मिनु बि-क व न-त-वक्-कलु अ़लै-क व नुस्ली
 अ़लैकल खैर, व नश-कुरु-क वला नक- फुरु-क व
 नख-लड़ व नत-रुकु मंय-यफ़-जुरु-क, अल्लाहुम्म-म
 इय्या-क नअ्बुदु व-ल-क नुसल्ली व नस्जुदु व इत्लै-क
 नस-आ व नह-फ़िदु व नरजू रह-म-त्त-क व नखशा

अज़ा-ब-क इन्-न अज़ा-ब-क बिल कुफ्फारि मुल-हिक०

तर्जुमा- ऐ अल्लाह! हम तुझ से मदद चाहते हैं और तुझ से माफ़ी मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं, और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते हैं और हम अलग कर देते हैं और छोड़ देते हैं उस आदमी को, जो तेरी नाफ़रमानी करे। ऐ अल्लाह! हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं और सज्दा करते हैं और तेरी ही तरफ़ दौड़ते हैं और लपकते हैं और तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को मिलने वाला है।

अगर दुआ-ए-कुनूत याद न हो तो याद कर लीजिए और जब तक दुआ-ए-कुनूत याद न हो, उसके बदले यह दुआ पढ़िए:

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव-व फ़िल आखिरति
ह-स-न-तंव-व व किना अज़ा-बन्नारि०

दुआ-ए-कुनूत पढ़ने के बाद अल्लाहु अक्बर कहकर रुकूअ कीजिए और फिर सज्दा कीजिए और तीसरा रक्खत पूरी करके बैठकर अत्तहियात, दुर्दश शरीफ़ और दुआ पढ़कर सलाम फेरिए।

सुन्नत व नफ़्ल नमाज़ें

फ़र्ज़ नमाज़ की जो तर्कीब बतलायी गयी है, सुन्नत या नफ़्ल नमाज़ भी इसी तरह पढ़ी जाती है, सिफ़ इतना याद रखिए कि सुन्नत या नफ़्ल नमाज़ों की हर रक्खत में अलहम्दु के बाद कोई सूरः या कुरआन मजीद की आयतों का पढ़ना ज़रूरी है। ज़ुहर, अस्र या इशा की सुन्नत नमाज़ अगर चार रक्खत वाली आप पढ़ें तो भी हर रक्खत में अलहम्दु के बाद कोई सूरः या कुरआन पाक की कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें ज़रूर पढ़िए।

नमाज़ के अंदर फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत

नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा बताया गया है, उसमें कुछ काम फ़र्ज़ है, कुछ वाजिब, कुछ सुन्नत और कुछ मुस्तहब है। जो काम फ़र्ज़ है, उनमें से कोई एक भी छूट जाए तो नमाज़ बिल्कुल नहीं होगी, दोबारा पढ़िए। वाजिब अगर छूट जाए तो सज्दा-ए-सहव करना ज़रूरी हो जाता है। कोई सुन्नत या मुस्तहब छूट जाए तो नमाज़ हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ ठीक होने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि कौन-से काम फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत हैं, ये नीचे लिखे जाते हैं:

नमाज़ में छः फ़र्ज़ हैं—

1. नीयत बांधते वक़्त अल्लाहु अक्बर कहना,
2. खड़ी होकर नमाज़ पढ़ना,
3. कुरआन मजीद में से कुछ आयतें पढ़ना,
4. रुकूअ करना,

5. सज्दा करना,
6. नमाज़ के आखिर में इतनी देर बैठना, जितनी देर अत्तहियात पढ़ने में लगती है।

नोट- आम तौर पर देखा गया है कि औरतें अक्सर बे-उज्ज़ भी बैठ कर नमाज़ पढ़ती हैं, हालांकि और काम-काज के लिए चलती फिरती हैं, टहलती-घूमती रहती हैं। खूब याद रखिए, जब तक खास मजबूरी नहीं और सही मजबूरी न हो, बैठकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं, नमाज़ नहीं होती है, हाँ किसी बीमारी या कमज़ोरी की वजह से खड़ी नहीं हो सकती या खड़ी होते ही सर में चक्कर आ जाता हो या गिर पड़ने का डर हो, तो बैठकर पढ़ना दुरुस्त है। अत्यबत्ता नफ़्ल नमाजें बैठकर पढ़ना दुरुस्त है, मगर बे-उज्ज़ बैठकर पढ़ने से आधा सवाब मिलेगा, इसलिए नफ़्लें भी खड़ी होकर पढ़ना बेहतर है।

नमाज़ में ये काम वाजिब हैं—

1. फ़र्ज़ नमाज़ की सिफ़ पहली और दूसरी रक्खतों में और दूसरी नमाजों की हर रक्खत में अल्हम्दु पूरी सूरः पढ़ना।
2. फ़र्ज़ नमाज़ की पहली दो रक्खतों में अल्हम्दु के बाद कोई सूरः या कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़ना।
3. वाजिब, सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ की हर रक्खत में अल्हम्दु के बाद सूरः या कम से कम एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़ना।
4. अल्हम्दु पहले और सूरः या आयतें बाद में पढ़ना।
5. हर काम को तर्तीब से करना, यानी हर काम को अपने अपने मौके पर अदा करना।
6. हर काम को इत्मीनान से अदा करना, जल्दी न करना, जैसे

रुकूअ करके सीधी खड़ी होना, तब सज्दे में जाना, इसी तरह एक सज्दे के बाद सीधी होकर बैठना, तब दूसरा सज्दा करना।

7. दो रकूअत के बाद बैठना और अत्तहियात पढ़ना और आखिरी रकूअत के बाद बैठने की हालत में भी अत्तहियात पढ़ना।
8. वित्र की नमाज़ में तीसरी रकूअत में रुकूअ से पहले दुआ-ए- कुनूत पढ़ना।
9. नमाज़ को अस्सलामु अलैयकुम कहकर खत्म करना।

नमाज़ में सुन्नत या मुस्तहब-

1. नमाज़ में जो काम फ़र्ज़ हैं उसके अदा करने में
 - क) अगर इतनी देर हो गयी कि तीन बार 'सुब्हान-अल्लाह' कहा जा सकता है।
 - ख) तर्तीब उलट गयी, यानी जिस फ़र्ज़ को पहले अदा करना चाहिए, वह पीछे हो गया,
 - ग) ज्यादती हो गयी, यानी जितनी बार अदा करना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया,
2. नमाज़ में जो चीज़ें वाजिब हैं, अगर उनमें से कोई एक या कई वाजिब भूले से छूट जाएं तो इन सब हालतों में सज्दा-ए-सहव करना ज़रूरी हो जाता है। सज्दा-ए-सहव कर लेने से नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। अगर सज्दा-ए-सहव नहीं किया तो नमाज़ दोबारा पढ़ना होगी। अब नीचे इस कायदे की रोशनी में कुछ मसूअले बताये जाते हैं—

मसूअला- अगर नमाज़ में रुकूअ से पहले ही सज्दे में चली गयीं। याद आने पर बाद में रुकूअ किया तो सज्दा-ए-सहव ज़रूरी हो गया, क्योंकि फ़र्ज़ अदा करने की तर्तीब उलट गयी।

मसूअला- एक रक्खत में दो बार रुकूअ कर लिया या तीन सज्दे कर लिये तो सज्दा-ए-सहव करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि फ़र्ज़ में ज़्यादती हो गयी।

मसूअला- 1. नमाज़ में अल्हम्दु से पहले ही सूरः पढ़ ली, इसके बाद अल्हम्दु पढ़ी,

2. ख़ाली अल्हम्दु पढ़ी, सूरः मिलाना भूल गयीं,

3. रुकूअ के बाद सीधे खड़ी नहीं हुई और सज्दे में चली गयीं।

4. एक सज्दे के बाद उठकर पूरी तरह बैठने से पहले ही दूसरे सज्दे में चली गयीं, तो इन सब हालातों में सज्दा-ए-सहव नहीं किया, तो नमाज़ नहीं हुई, लेकिन अगर सज्दे से ज़रा सर उठाया और फौरन ही दूसरे सज्दे में चली गयीं, तो यह एक ही सज्दा होगा। अगर इसके बाद पूरी तरह बैठकर फिर सजदा न किया तो नमाज़ न हुई, इसलिए कि एक सज्दा छूट गया।

मसूअला- तीन या चार रक्खत वाली नमाज़ में दूसरी रक्खत के बाद बैठना भूल गयीं और खड़ी हो गयीं, तो अब याद आने पर भी न बैठिए, नमाज़ पूरी करके सज्दा-ए-सहव कर लीजिए, नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, हाँ, अगर अच्छी तरह खड़ी भी होने न पायी थी कि फौरन याद आ गया, तो बैठ जाइए और अत्तहिय्यात पढ़कर उठिए, इस हालत में सज्दा-ए-सहव की भी ज़रूरत नहीं है।

मसूअला- वित्र नमाज़ की आखिर रक्खत में दुआ-ए-कुनूत पढ़ना भूल गयी और रुकूअ कर लिया, तो सज्दा-ए-सहव ज़रूरी है।

मसूअला- तीन या चार रक्खत वाली नमाज़ में दो रक्खत पर अत्तहियात पढ़ने के बाद फौरन नहीं उठीं, बल्कि इतनी देर हो गयी कि अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मद तक कहा जा सकता है, या इतना पढ़ भी गयीं, तो सज्दा-ए-सहव करना ज़रूरी हो गया।

मसूअला- नमाज़ के अन्दर की कोई सुन्नत या मुस्तहब भूले से छूट जाए या जान कर छोड़ दी जाए तो सज्दा-ए-सहव की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ हो जाएगी, अलबत्ता जान-बूझकर किसी सुन्नत को छोड़ देना बहुत बुरा है।

सज्दा-ए-सहव की तर्काब

सज्दा-ए-सहव करने का तरीक़ा यह है कि आखिरी रक्खत के बाद अत्तहियात पढ़कर सिर्फ़ दाहिनी तरफ़ सलाम फेरिए। इसके बाद फिर दो बार सज्दा कीजिए। दूसरे सज्दे से उठने के बाद बैठकर फिर अत्तहियात पढ़िए, इसके बाद दुरुद शरीफ़ और दुआ पढ़िए, तब दोनों तरफ़ सलाम फेरिए।

नमाज़ की जान

नमाज़ के बारे में अब तक जो कुछ बताया गया, ये सब चीज़ें नमाज़ के ज़ाहिर को ठीक और दुरुस्त करने के लिए हैं। ज़ाहिर की दुरुस्ती उस वक्त काम देती है, जब अंदर में भी जान हो, एक तन्दरुस्त आदमी ख़ूबसूरत हो, उसका नाक-नक्शा भी सुडौल हो, लेकिन बदन के अंदर रुह न हो, तो ऐसा आदमी एक बेजान लाश है।

इसी तरह नमाज़ की भी एक रुह और जान है और वोह है खुदा का ध्यान। नमाज़ में शुरू से आखिर तक अपनी बेबसी और आजिज़ी के साथ खुदा की कुदरत और बड़ाई का ध्यान जितना मज़बूत होगा, नमाज़ उतनी जानदार और क़ीमती होगी। अल्लाह तआला हमारी, आपकी, सबकी नमाज़ों को जानदार और क़ीमती बना दे।

आमीन
अहकर

मुहम्मद कुरैश अफ़ी अल्लाहु अन्हु

ساتر اور پردے کا حکم (نیا ایجٹاف)

شریعت میں ایک حکم تو لباس اور ساتر کا ہے اور یہ حکم مرد و اورت دوں ہی لیا ہے۔ مرد کے لیا ناف سے گونے تک اپنی بیوی کے سیوا ہر اک سے چھپانے کا حکم ہے اور اورتوں کے لیا چہرا اور گڈے تک ہاث اور ٹکھنے تک پر کے سیوا پورا بدن اپنے شوہر کے سیوا ہر اک سے چھپانے کا حکم ہے۔ جناب رحیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا—

أَبْجَارِيَةٌ إِذَا حَاظَتْ لَمْ يُصْلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا
وَجْهَهَا وَيَدَهَا إِلَى الْبِفُصَلِ ط

‘چہرا اور گڈے تک ہاث کے سیوا بالیغ اورت کے بدن کا کوئی ہیئت نجڑ ن آنا چاہیے।’

(ابو داؤد شریف)

یہ ایک باریک اور چوتھی لباس بھی پہنانا حرام ہے، جیسے بدن اندر سے جلکنے لگے یا بدن کی بناءوٹ مالوم ہونے لگے۔ ہنوز ساللہ علیہ السلام کی سالی ہجرت اسما بینتے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اک بار ہنوز ساللہ علیہ السلام کے سامنے باریک لباس پہن کر حاجیر ہوئے تو ہنوز ساللہ علیہ السلام نے فوراً نجڑ فر لی، فرمایا—

يَا سَمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْعِيْضَ لَمْ يُصْلِحْ لَهَا
أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَآشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِيْهِ ط

(ابو داؤد باب فيما ابتدى المرأة من زينتها من كتاب اللباس)

‘अपने चेहरे और हाथ की तरफ इशारा करते हुए हु़जूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ अस्मा! बालिग़ औरत के बदन का कोई हिस्सा नज़र न आना चाहिए।’ – अबू दाऊद शरीफ

عَنْ عَلْقَبَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَبَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ
بْنُتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خَمَارٌ رَّقِيقٌ
فَشَفَقَتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خَمَارًا كَثِيرًا فَاطَّ

رواہ مالک (مشکوٰۃ کتاب اللباس الفصل الثالث)

उम्मुل مومینीन हज़रत آیशا رज़یयल्लाहु ان्हा की खिदमत में उनकी भतीजी हफ़्सा बिन्त अब्दुर्रहमान बारीक ओढ़नी ओढ़कर हाज़िर हुई तो हज़रत آیशا رज़یयल्लाहु ان्हा ने इस बारीक ओढ़नी को फाड़ दिया और मोटी ओढ़नी इनको उढ़ा दी।

—میشکات، کیتاب بولل-لیباس

आज मुसलमान घरानों में औरतें ठीक वही لिबास पहनती हैं, जिस के बारे में हु़जूर سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फ़रमाया था, जहन्नमियों की दो किस्में हैं, जिनको मैंने देखा नहीं है, इसके बाद दोनों किस्मों की निशानियाँ बतायी गयी हैं। दूसरी किस्म के जहन्नमियों की निशानियाँ इन लफ़जों में हैं।

وَنَسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ هُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَسِينَةٌ
الْبُخْتِ الْهَائِلَةِ لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَمْجُدُنَّ رِيمَحَهَا وَإِنَّ رِيمَحَهَا
لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(مشکوٰۃ القصاص باب مالا يضمن من الجنابات)

‘और जो औरतें कपड़े पहन कर भी नंगी ही रहें, दूसरों को रिझाएं और खुद भी दूसरों पर रीझें, उनके सर पर बालों की आराइश ऊंटनी के कोहानों की तरह हो, नाज़ से गरदन टेढ़ी करके चलें, वे जन्नत में दाखिन न होंगी, न उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है।’ –मिश्कात, किताबुल जिनायात

चेहरा और हाथ-पैर के सिवा पूरा बदन छिपाने के बाद भी औरत का फितरी हुस्न या ज़ेवर और लिबास वगैरह का बनाव सिंगार, जो खुद-ब-खुद बिल्ला इरादा ज़ाहिर जो जाता हो, औरत अपने बाप, ससुर, बेटे, भाई, भतीजे, भांजे के सामने तो इस ज़ीन्त और बनाव-सिंगार को ज़ाहिर कर सकती है, मगर इनके सिवा जितने मर्द हैं, उनके सामने ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फ़रमाया है—

مَثَلُ الرَّاِفِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلٍ ظُلْمَةٍ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا نُورَ لَهَا.

(ترمذی باب ماجاء في كراهيۃ خروج النساء في الزينة من ابواب الرضاع)

‘अजनबियों में बन-संवर कर नाज़ व अंदाज़ से चलने वाली औरत ऐसी है, जैसी कियामत के दिन तारीकी कि उसमें कोई नूर नहीं।’
—तिर्मिज़ी

खुद कुरआन पाक में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَلَا يُبَدِّلُنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضُرِّبُنَ بِخُمُرٍ هُنَّ عَلَى
جُيُونُهُنَّ ط (سورة نور، پاره ۱۸۵)

‘और औरतें अपनी ज़ीन्त को ज़ाहिर न करें, सिवाएं

उस ज़ीनत के, जो आप से आप ज़ाहिर हो जाए और अपने सीने पर दोष्टे ओढ़ रहा करें।' -सूरः नूर, पारा 17

इस आयत का साफ़ मतलब यह है कि तुम अपनी तरफ से अपना बनाव-सिंधार और ज़ीनत व आराइश गैरों से छिपाने की कोशिश करो, फिर भी अगर कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए, तो माफ़ है, मगर तुममें यह ज़ज्बा और शौक हरगिज़ न हो कि अपना बनाव-सिंधार गैरों को दिखाओ, सर और सीना ख़ास तौर पर ज़ीनत की जगह है, इसलिए इसको ढांकने और छिपाने की भी ख़ास ताकीद की गई है।

यह तो सतर का वह हुक्म है, जिसमें औरत अपने शौहर के सिवा महरम या गैर महरम किसी मर्द के सामने अपने चेहरे, हाथ और पैर के सिवा बदन का कोई हिस्सा नहीं खोल सकती। इसके बाद दूसरा हुक्म परदे का है।

परदे का हुक्म

जिन रिश्तेदारों के सामने चेहरा और हाथ-पैर खुला रखने की इजाज़त दी गयी है। उनके अलावा और जितने मर्द हैं, उनके सामने खुले चेहरे के साथ औरत के आने की इजाज़त नहीं है। किसी ज़रूरत से घर से बाहर जाना हो, तो इस तरह बाहर निकलना चाहिए कि चेहरा नज़र न आए। कुरआन मजीद में है—

يُلْدِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْرِهِنَّ ط (سورة احزاب)

'अपने ऊपर अपनी चादरों से घूंघट डाल लिया करो।'

—सूरः अहज़ाब

इस आयत में ख़ास चेहरे को छिपाने का हुक्म है, क्योंकि घूंघट

डालने का मक्सद चेहरे को छिपाना है, अब यह घूंघट से छिपाया जाए या बुर्के की नकाब से या किसी और तरीके से।

यह हुक्म किसी ज़रूरत और मजबूरी से बाहर जाने के लिए है, सिफ़्र तफ़रीह या बगैर मजबूरी के बाज़ार करने के लिए नहीं है। बाहर के काम को पूरा करना या कराना शौहर का फ़र्ज़ है। हाँ अगर शौहर या कोई दूसरा मर्द न हो तो मजबूरन इसकी भी इजाज़त है।

आज की बेहया औरतें जिस तरह बन-ठन कर अपना हुस्न और बनाव सिंधार दिखाने के लिए बाहर आज़ादी से घूमती-फिरती हैं, क़दीम जाहिलियत में भी इसी तरह घूमा करती थीं। अल्लाह तआला ने हुक्म किया कि तुम वक़ार के साथ अपने घरों में जमी बैठी रहो। क़ुरआन पाक में इशाद है:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرُجْ جَنَّ تَبَرْجَ حَاجِلِيَّةً الْأُولَىٰ۔

(سورة احزاب)

“और अपने घरों में जमी रहो, क़दीम जाहिलियत के तरीके पर अपने को दिखाती मत फिरो।” –सूर अहज़ाब

इस आयत के नाज़िल होने के बाद मुसलमान औरतें अपने चेहरे पर नकाब डालने लगीं और खुले चेहरे के साथ फिरने का रिवाज बन्द हो गया और बे-ज़रूरत घर से बाहर निकलना ही रुक गया।

अल्लाह तआला मुसलमान औरतों को तौफ़ीक़ दे कि क़ुरआन व हदीस के अहकाम के मुताबिक़ अपने सतर और परदे का एहतिमाम रखें और मौजूदा दौर की बेहयांई और बेपरदगी से बचें। आमीन

–मुहम्मद कुरैश अफ़्री अल्लाहु अन्हु

ज़कात

(हज़रत अक्दस जनाब मुफ्ती मुहम्मद यह्या साहब कासिमी,
मुहतमिम अंजुमन निदाए इस्लाम, कलकत्ता)

जिस तरह नमाज़, रोज़ा औरतों पर फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। बहुत-सी औरतें ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करतीं और गुनाहगार होती हैं और आखिरत का अज़ाब मोल लेती हैं।

जिस औरत के पास साढ़े बावन तोला चाँदी या साढ़े सात तोला सोना या उसका ज़ेवर या इतने रूपये फ़ाज़िल हों, जिससे चाँदी या सोना ऊपर लिखे हुए वज़न के मुताबिक़ ख़रीद सके, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, बश्ते कि उस ज़ेवर या सोना-चाँदी और रूपए पर पूरे साल गुज़र जाएं। अगर किसी औरत के पास साढ़े बावन तोला चाँदी या उसका ज़ेवर नहीं, बल्कि इससे कम हो और सोना भी साढ़े सात तोला नहीं, बल्कि कम हो, तो यह देखना होगा कि अगर सोना बेचकर चाँदी ख़रीद ली जाए तो साढ़े बावन तोला हो जाएगा या चाँदी बेचकर सोना ख़रीदा जाए तो साढ़े सात तोला सोना हो जाएगा तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है। रूपये जो भी हैं, सबका चालीसवाँ हिस्सा निकालना फ़र्ज़ है, चाहे कीमत दी जाए या सोना-चाँदी दिया जाए।

इसकी पूरी तफ़सील या तशीह चाहिए हो तो किसी सनद याप्ता मुफ्ती से मालूम कीजिए। इस छोटी सी किताब में इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं।

सदका फ़ित्र और कुरबानी

जिन औरतों के पास रूपए या सोने-चाँदी या इतना ज़ेवर मौजूद हो, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो अगर औरत ईद के दिन उसकी मालिक हो (चाहे उस पर अभी साल ने गुज़रा हो) तो उस पर खुद अपना सदका फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। अस्ती तोली के सेर से एक आदमी का सदका फ़ित्र, एक सेर तेरह छटांक गेहूं या तीन सेर दस छटांक जौ या उसकी कीमत है।

इसी तरह अगर औरत कुरबानी के दिनों (10, 11, 12) में ऊपर लिखी हुई मिक़दार के मुताबिक़ सोना या चाँदी या ज़ेवर या रूपये की मालिक हो तो उस पर कुरबानी भी फ़र्ज़ है। बड़े जानवरों में एक हिस्सा और ख़स्ती बकरी एक कर देने से कुरबानी अदा हो जाएगी।

एक ग़्लतफ़हमी- बहुत-सी जगह यह मशहूर है कि कुरबानी हर साल वाजिब नहीं, इसीलिए बहुत से लोग किसी साल अपने नाम और किसी साल बाप-दादा के नाम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, कुरबानी करते हैं और अपने नाम को छोड़ देते हैं, ऐसा समझना ग़्लत है। जिस तरह नमाज़, रोज़ा, ज़कात हर साल और हर वक्त फ़र्ज़ है, इसी तरह कुरबानी भी हर साल वाजिब है। जिस मर्द व औरत पर कुरबानी वाजिब है, उसको अपनी कुरबानी करना ज़रूरी है, चाहे वह पिछले साल भी कर चुका हो। अगर अपनी कुरबानी छोड़ देगा, तो गुनाहगार होगा। अपनी तरफ़ से कुरबानी कर लेने के बाद जिस दूसरे की तरफ़ से करना चाहे, करे।

हज

औरतों पर हज भी फ़र्ज़ है।

जिस औरत को अल्लाह तआला ने इतने रूपए और माल दिया हो कि वह मक्का मुकर्मा तक अपने पैसों से आ जा सके और किसी किस्म का कर्ज़ भी उस पर न हो या हो, लेकिन कर्ज़ की अदाएँगी के बाद भी इतने रूपए उसके पास हों तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसी औरत को जितना जल्द हो सके, हज अदा कर लेना ज़रूरी है। अगर हज करने से पहले इंतिकाल हो जाए, तो औरत के वारिसों पर हज्जे बदल कराना ज़रूरी है, अगर औरत वसियत कर गयी हो। ऐसी औरतों को हज्जे बदल करने की वसीयत करना ज़रूरी है।

और अगर औरत को खुद हज करने की तौफ़ीक हो जाए तो औरत तन्हा हज का सफ़र नहीं कर सकती, बल्कि अपने साथ किसी महरम या शौहर को साथ ले जाना होगा। अगर औरत किसी महरम या शौहर को साथ ले जाए तो उस महरम या शौहर का ख़र्च भी औरत को अदा करना होगा। अगर इतने रूपए न हों कि महरम या शौहर को साथ ले जाए तो खुद औरत को हज अदा करना ज़रूरी न होगा, बल्कि मरने से पहले हज्जे बदल की वसीयत करना होगा और वसीयत के बाद वारिसों पर उसका हज्जे बदल कराना लाज़िम होगा।

हज को भी फ़र्ज़ हो जाने के बाद जवानी ही में अदा करना चाहिए। बूढ़ी होने तक का इंतिज़ार करना या किसी दुनियावी काम के होने तक रुकना गुनाह है। मुसलमानों को अल्लाह तआला गुनाहों से बचाए और औरतों को दीन के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन

कुछ ज़रूरी हिदायतें

ग़ीबत

ग़ीबत गुनाहे कबीरा है। आज मुसलमान इसमें बहुत ज्यादा मुब्तला हैं और औरतें तो खुसूसियत से इस में इमाम ही हैं, हालांकि कुरआन पाक में अल्लाह तआला ने इससे मना फ़रमाया है:

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اجْتَنِبُوا كُثُرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّمَا
وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحُبْ أَحَدٌ كُفُرًا كُلَّ
كُفُرَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

(سورہ حجرات، پارہ ۲۶، رکوع ۱۲، آیت ۱۲)

तर्जुमा- ऐ ईमान वालो! बहुत-से गुमानों से बचा करो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं और सुराग मत लगाया करो और कोई किसी की ग़ीबत भी न किया करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाये। उसको तो तुम नागवार समझते हो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कुबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान है।

—सूरः हुजरात, पारा 26, रुकू 14, आयत 12)

मुसलमान औरतों को इस गुनाह से बचना चाहिए और अपनी मजिलसों में अल्लाह व रसूल का तज़िकरा करना चाहिए।

आम औरतों की यह आदत बन गयी है कि जहाँ इकट्ठा हुई, एक दूसरे के ऐब बयान करने में लग गयीं और उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये जहन्नम में जाने का सामान कर रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशादि फ़रमाया—

أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقُوَى اللَّهُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ
أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْجُوْفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ ط

رواه الترمذی وابن ماجہ (مشکوٰۃ بات حفظ اللسان والغيبة والشتم)

‘क्या तुम्हें इन अस्बाब का इल्म है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जन्नत में जाएंगे? अल्लाह से तक़वा और अच्छे अख़लाक हैं क्या तुम्हें उन अस्बाब का इल्म है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जहन्नुम में जाएंगे? दो खाली जगहें हैं, मुँह और शर्मगाह।’

अगर इन औरतों को समझाया जाता है तो कहती हैं कि मैं कोई ग़लत बात थोड़े ही कह रही हूँ, यह ऐबं तो इसमें है ही, हालांकि उनको यह भी इल्म नहीं कि ग़ीबत तो यही है कि जो ऐब हो, उसको उसके ग़ायबाना में बयान किया जाए। और इसमें यह ऐब नहीं है, तो यह बोहतान है। हुजूर سल्लال्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फ़रमाया—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكُ أَخَاكَ إِنَّمَا يُكَرِّهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ
إِنْ كَانَ فِي أَخِيِّ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ إِغْتَبْتَهُ وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَثَتَهُ.

رواه مسلم (مشکوٰۃ بات حفظ اللسان والغيبة والشتم)

‘क्या तुम्हें मालूम है कि ग़ीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और रसूल को ज्यादा इल्म है। आपने फ़रमाया अपने भाई का तज़िकरा ऐसे तरीके से, जो उसे नापसन्द हो। सहाबा ने

अर्ज किया कि अगर वह ऐब उसके अंदर हो, जब भी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वह ऐब है, जब ही तो ग़ीबत है। अगर वह ऐब नहीं है तो बोहतान है।

अल्लाह तआला मुसलमान मर्द व औरत को ग़ीबत और तमाम गुनाहों से बचाये रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया—

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحَيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

رواہ البخاری (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم)

‘जो आदमी अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह को गुनाहों से बचाये रखने की ज़िम्मेदारी ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ।’

ग़ीबत के सिलसिले में “ग़ीबत क्या है?” नामी किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमन्द है।

बच्चों की सालगिरह

बच्चों की सालगिरह भी एक गैर-शरई रस्म है। आज कल मुसलमानों में यह रस्म बहुत चल पड़ी है, हालांकि इस पर तो कोई सवाब है ही नहीं, बल्कि कुछ कामों की वजह से गुनाह ही होता है। लोग इसमें काफ़ी नाम व नमूद करते हैं, औरतों की दावत होती है और वे पूरी ज़ीनत व आसाइश के साथ शरीक होती हैं, हालांकि शौहर के सिवा किसी दूसरे को दिखाने के लिए ज़ीनत करना जायज़ नहीं, फिर उसमें नमाज़ छुटती है और फ़िज़ूलख़र्ची होती है और नाम व नमूद और गैर शरई काम का रिवाज होता है, जो सब गुनाह है। मुसलमान औरतों को गैर-शरई कामों से बचना चाहिए और बूरी रस्मों से बचना चाहिए और ‘इस्लहुसूम’ नामी किताब को

पढ़ना चाहिए।

जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सालगिरह नहीं मनायी गयी तो हमारे बच्चे और बच्चियों की सालगिरह क्यों मनाई जाए? क्या हमारे बच्चे बच्चियों का मर्तबा हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फ़रमाया है—

وَمِنْ أُبْتَدَعَ بِدُعَةً ضَلَالَةً لَا يُرِضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا۔ رواه الترمذى (مشكوة بباب الاعتصام بالكتاب والسنة)

‘जिसने कोई ऐसी नयी बात दीन में पैदा की, जिससे खुदा व खुदा का रसूल राजी नहीं है, तो उस पर तमाम अमल करने वालों का गुनाह होगा और अमल करने वालों के गुनाह में कोई कमी न होगी?’ —तिर्मिज़ी

अल्लाह तआला ने जिन मुसलमान औरतों को दीन सीखने और दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ दी है, उनको चाहिए कि अपनी बहनों में दीन फैलाएं और दीन की बातें और दीन के अहकाम सिखाएं। यही उनके लिए आखिरत का सामान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू से फ़रमाया था कि अगर तुम्हारे ज़रिये किसी एक को भी हिदायत मिल जाए, तो यह तुम्हारे लिए अरब के बेहतरीन माल (सुख्ख ऊंट) से भी बेहतर है।

अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को अच्छे अक़ीदे, अच्छे आमाल, अच्छे अख़लाक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं और बुरी बातों और रस्मों से बचाए रखें। आमीन

निकाह (शादी) की रस्में

निकाह में जो चीज़ें रुक्न (फ़र्ज़) हैं, वे सिफ़्र दो हैं— कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी और ईजाब व क़बूल और निकाह का मस्नून तरीक़ा यह है कि आम मज्मे में निकाह किया जाए। खुत्बा और छोहारे बाँटना सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं। सुहागरात (जिस रात दुल्हा-दुल्हन की मुलाक़ात होती है) के दूसरे दिन दावते वलीमा करना भी सुन्नत है और उसका तरीक़ा यह है कि अपनी हैसियत के मुताबिक़ ग़रीब व अमीर को खाने की दावत दी जाए और खाना खिलाया जाए। अपनी हैसियत से ज़्यादा या कर्ज़ लेकर दावते वलीमा करना फ़िज़ुलख़र्ची और गुनाह है और सिफ़्र अमीरों और मालदारों को दावत देना और ग़रीबों को छोड़ देना भी सुन्नत के खिलाफ़ है और उसके बारे में हुजूर سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फ़रमाया:

‘बदतरीन खाना वलीमे का वह खाना है, जिसमें ग़रीबों को छोड़कर सिफ़्र अमीरों की दावत हो।’ —मिश्कात

शरीअत के खिलाफ़ रस्में

शादी में बहुत-से काम ऐसे होते हैं जो शरीअत के खिलाफ़ हैं और गुनाह हैं। लड़के के रिश्तेदार या खुद लड़के की फ़रमाइशें, जहेज़ में कुछ चीज़ों का तै कर लेना, लड़की या लड़के वालों के यहां गाना बजाना, एक दूसरे पर रंग फेंकना, दुल्हन की रु-नुमाई में महरम और गैर-महरम से लापरवाही, लड़के वालों की तरफ़ से लड़की को मांझा बिठाने के लिए औरतों का जाना और लड़की को मांझा बिठाना, जिसको लग्न की रस्म कहते हैं, दूल्हा, बारातियों

और दुल्हन और दूसरी औरतों का फोटो लेना, ये सब रस्में इस्लाम के खिलाफ़ और गुनाह हैं। बारातियों के खाने और लड़की को जहेज़ देने में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना फ़िज़ूलखर्ची का और फ़िज़ूलखर्ची बड़ा गुनाह है। बारात तो इस्लाम में कोई चीज़ नहीं ही नहीं कि उसको किया जाए।

लड़की को जहेज़ में उतनी ही चीज़ें देनी चाहिए जो लड़की के रिश्तेदान की हैसियत हो। इस सिलसिले में लड़के या उसके रिश्तेदारों की फ़रमाइश जुल्म और बड़ा गुनाह है। जहेज़ खालिस लड़की की चीज़ और मिल्कियत है। लड़की के रिश्तेदारों को इखिलयार है, जितना और जो चाहें दें, किसी को उस पर जब्र व दबाव का इखिलयार नहीं।

मुसलमान मर्द और औरत को इन गैर-ज़रूरी और शरीअत के खिलाफ़ कामों से पूरा परहेज़ करना ज़रूरी है। दुनिया में सिवाए नाम व नमूद के कुछ हासिल नहीं और आखिर में जहन्नम की तरफ़ ले जाने की वजहें हैं। कोई समझदार और दीनदान मुसलमान इसके लिए हरगिज़ तैयार न होगा कि सिर्फ़ नाम व नमूद के लिए अपने आपको जहन्नम का कुंदा बनाये।

औरतों को ख़ास कर इससे बचना ज़रूरी है, इसलिए कि रस्मों की ईजाद करने वाली और उसकी पाबन्दी करने वाली और कराने वाली ज्यादातर यही होती है। क़ुरआन पाक में हुक्म है:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَآهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّارُ

وَالْجَارَةُ ط (सूरा त्हरिम, पारा १८४)

‘ऐ ईमान वालो! तुम अपने को ओर अपने घर वालों को दोज़ख

की आग से बचाओ, जिसका ईधन आग और पथर हैं।'

—सूरः तहरीम, पारा 28

फ़ातिहा (ईसाले सवाब) का सही तरीक़ा

अगर खाने-पीने की चीजों का सवाब पहुंचाना है, तो उसे ग़रीबों में बाँटकर के यह नीयत कर ली जाए कि ऐ अल्लाह! इसका सवाब फ़्लां को पहुंचा दे और अगर कुछ पढ़कर सवाब पहुंचाना है तो कुरआन पाक का जितना हिस्सा पढ़ना हो, पढ़कर खुदा से दुआ करे कि ऐ अल्लाह! इसको क़बूल फ़रमा, और इसका सवाब फ़्लां को पहुंचा दे। अगर चन्द मैयत को सवाब पहुंचाना है, तो सबकी नीयत करे।

ईसाले सवाब का मुख्तसर और आसान तरीक़ा यह है कि अच्छल दुरुद शरीफ़ तीन बार, इसके बाद सूरः फ़ातिहा (अल्हम्दु शरीफ़) तीन बार, इसके बाद सूरः इख्लास (कुल हुवल्लाहु शरीफ़) बारह बार, फिर दरुद शरीफ़ तीन बार पढ़कर अल्लाह से दुआ की जाए कि ऐ अल्लाह! इसको क़बूल फ़रमा और इसका सवाब फ़्लां को पहुंचा दे। अल्लाह तआला मुसलमान औरतों को बुरी रस्मों से बचाए और दीन की सही और ज़रूरी बातों के जानने की तौफ़ीक दे। आमीन!

घरेलू ज़िन्दगी की एक बड़ी ग़लती

शरीअत का हुक्म है कि जब लड़के-लड़कियाँ समझदार हो जाएं तो उनका बिस्तर माँ-बाप से बिल्कुल अलग रखा जाए। माँ के या बाप के बिस्तर पर बेटी, इसी तरह बाप या माँ के बिस्तर पर लड़का लेटे सोये नहीं। इसकी वजह यह है कि कभी-कभी ऐसी ग़लती से बीवी अपने शौहर को हमेशा के लिए हराम हो जाती है।

इसी तरह बेटे-पोते, नवासे की बीवियों को भी अपने ससुर या दादा ससुर या नाना ससुर से अलग रहना चाहिए। उनकी कोई खिदमत जिस्मानी नहीं करनी चाहिए वरना इस फ़िले के दौर में बहुत बार वे औरतें अपने शौहर पर हराम हो जाएंगी और फिर जायज़ व हलाल होने की कोई सूरत नहीं होगी।

इसलिए कि मस्त्रय यह है कि अगर शौहर का हाथ नफ़्सानी ख्वाहिश के साथ बीवी के बजाए लड़की या बहू वगैरह के बदन पर पढ़ जाए तो बीवी अपने शौहर के लिए और बहू वगैरह अपने शौहरों के लिए हराम हो जाएंगी और इसके बाद इसके जायज़ होने की कोई शक्ति नहीं। यह हुक्म हराम होने का उस वक्त है, जब लड़की या बहू वगैरह नौ साल या उससे ज़्यादा उम्र की हो। तप़सील फ़िक्ह की किताबों में मौजूद है।

मौत हो जाने का व्यान

जब आदमी मरने लगे तो उसको चित लिटाकर उसके पैर किले की तरफ़ कर दो और सर ऊँचा कर दो और उसके पास बैठकर ज़ोर-ज़ोर से कलिमा तैयबा वगैरह पढ़ो, ताकि तुमको पढ़ते सुनकर खुद भी कलिमा पढ़ने लगे और उसको कलिमा पढ़ने का हुक्म न करो, क्योंकि वह वक्त बड़ा मुश्किल है। ना मालूम उसके मुँह से क्या निकल जाए।

यासीन शरीफ़ पढ़ने से भी मौत की सख्ती कम होती है। उसके पास बैठकर पढ़ दो या किसी से पढ़वा दो। जब मौत आ जाए तो सब उङ्घ (अंग) दुरुस्त कर लो। किसी कपड़े से उसका मुँह बाँध दो, ताकि मुँह फैल न जाए, आँखें बन्द कर दो और पैर के दोनों अंगूठों को मिलाकर बाँध दो, ऊपर कोई चादर डाल दो और

नहलाने और कफ़्नाने में जल्दी करो। मुँह वगैरह बन्द करते वक्त यह दुआ पढ़ो:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مَلَكِ رَسُولِ اللَّهِ طَّ
बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहिः

नहलाने का बयान

पहले किसी तख्त या बड़े तख्तो को लोबान या अगरबत्ती वगैरह खुशबूदार चीज़ की धूनी दे दो, फिर मुर्दे को उस पर लिटा दो और कपड़े उतार लो। कोई कपड़ा नाफ़ से लेकर ज़ानू तक डाल दो कि उतना बदन छिपा रहे। पहले मुर्दे को इस्तिंजा कराओ, अपने हाथ में कपड़ा लपेट लो और जो कपड़ा नाफ़ से लेकर ज़ानू तक पड़ा हो, उसके अंदर-अंदर धुलाओ। फिर उसको वुजू करा दो, इस तरह कि पहले मुँह धुलाओ, फिर हाथ-कुहनी समेत, फिर सर का मसह, फिर दोनों पैर और तीन बार रुई तर करके दाँतों और मसूढ़ों पर फेर दी जाए और नाक के दोनों सुराखों में फेर दी जाए, तो बेहतर है और अगर वह नहाने की शक्ति में या हैज़ व नफ़ास में मर जाए तो इस तरह से मुँह और नाक में पानी पहुंचाना ज़रूरी है और नाक और मुँह और कानों में रुई भर दो ताकि वुजू कराते और नहलाते वक्त पानी न जाने पाए। बेरी के पत्तों से पका हुआ, या न हो सके तो सादा ही आधा गर्म पानी तीन बार सर से पैर तक डाले।

कफ़्नाने का बयान

औरत को पाँच कपड़ों में कफ़्नाना सुन्नत है: 1. कुरता, 2. ईज़ार, 3. सरबन्द, 4. चादर और 5. सीना बन्द।

ईज़ार सर से पैर तक होना चाहिए और चादर उससे एक हाथ

बड़ी और कुरता गले से पाँव तक हो लेकिन न उसमें कली हो, न आस्तीन और सरबन्द तीन हाथ लम्बा और सीना बन्द छातियों से ज़ानू तक चौड़ा और इतना लम्बा कि बन्द हो जाए और अगर पाँच के बजाए सिर्फ़ तीन कपड़ों— ईज़ार चादर और सरबन्द में कफ़्ना दे, तो भी काफ़ी है और इससे कम मकरुह है।

कफ़्नाने का तरीक़ा

कफ़्नाने का तरीक़ा यह है कि पहले चादर बिछाओ, फिर ईज़ार और इसके ऊपर कुरता, फिर मुर्दे को उस पर ले जाकर पहले कुरता पहनाओ और सर के बालों को दो हिस्सा करके कुरते के ऊपर सीने पर डाल दो और एक हिस्सा दाहिनी तरफ़ और एक हिस्सा बायीं तरफ़, इसके बाद सर बन्द सर पर और बालों पर डाल दो, इसको न बाँधो और न लपेटो, फिर ईज़ार लपेट दो, पहले बायीं तरफ़ लपेटो और फिर दाहिनी तरफ़, इसके बाद सीनाबन्द बाँध दो, फिर चादर लपेटो, पहले बायीं तरफ़ फिर दाहिनी तरफ़ और फिर किसी धज्जी से पैर और सर की तरफ़ कफ़्न को बाँध दो और एक बन्द कमर के पास भी लगा दो, ताकि रास्ते में कहीं खुल न जाए।

कफ़्न में या कब्र में अहदनामा या अपने पीर का शजरा या कोई दुआ वगैरह रखना दुरुस्त नहीं, इसी तरह कफ़्न या सीने पर कलिमा या कोई दुआ वगैरह लिखना भी दुरुस्त नहीं। जो चादर जनाज़े की चादर पर डाली है, वह कफ़्न में शामिल नहीं।

इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज़ है जो बालिग़ होने के बाद से ज़िन्दगी की आखिरी सांस तक हर मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बीमार तनदरुस्त, मुसाफिर और मुक़ीम पर रोज़ाना पांच मर्तबा फ़र्ज़ है, नमाज़ के एहकाम व मसाइल फ़िक़ह की किताबों में बहुत तफ़सील से लिखे गए हैं, नमाज़ से पहले जिस्म का, लिबास का और नमाज़ की जगह का पाक होना ज़रूरी है इसलिए नमाज़ की किताबों से पाकी के मसाइल भी ज़रूर लिखे जाते हैं।

पाकी और नमाज़ के अक्सर मसाइल तो मर्दों और औरतों के लिए एक ही तरह के हैं लेकिन कुछ थोड़े से मसाइल में फ़र्क है जिनका जानना औरतों के लिए ज़रूरी है।

इस छोटी सी किताब की यह खूबी है कि इसमें औरतों के लिए पाकी के ज़रूरी मसाइल और नमाज़ के तरीके में उनके लिए जो खुसूसी मसाइल हैं उनको मुस्तनद किताबों की मदद से जमा कर दिया गया है।

इस बार किताब के आधिकार में औरतों के लिए कुछ और ज़रूरी मसाइल का भी इज़ाफ़ा किया गया है जिनसे किताब का फ़ायदा और बढ़ गया है।

ISBN 81-7101-226-4

www.idara.co

